

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ0नं0-  
11-268 / 2014 एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गाजीपुर-सैदराज-जमानियां मार्ग एन0एच0-24 (पुराना एन0एच0-97) के किमी0 सं0-13 (चैनेज सं0-12.665) के मध्य बांयी पटरी पर, आराजी सं0-165, ग्राम-ढढनी रनबीर राय, तहसील-जमानियां, जिला-गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.331488 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी 18 मी0 है तथा सम्पर्क मार्गों तथा सेपरेटर आईलेण्ड का क्षेत्रफल 0.331488 हे0 है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप हैं तथा यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी के अधीन है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गाजीपुर-सैदराज-जमानियां मार्ग एन0एच0-24 (पुराना एन0एच0-97) के किमी0 सं0-13 (चैनेज सं0-12.665) के मध्य बांयी पटरी पर, आराजी सं0-165, ग्राम-ढढनी रनबीर राय, तहसील-जमानियां, जिला-गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर.....वृक्षों का पातन किया जाना है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रकिया में है।
5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
6. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के पश्चात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा (CAMP) मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक  
वन प्रभाग, गाजीपुर

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
गाजीपुर

  
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0  
वाराणसी टैरीटरी (रिटेल)